



2026: AHC: 48732-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 732/2014

त्रिभुवन प्रताप नारायण सिंह

.....अपीलकर्ता

बनाम

पारसनाथ (मृतक) एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : आर.सी. सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.के. गोयल (ए.सी.एस.सी.), ए.के. सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यद्यपि यह मामला 'इस उच्च न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु सबसे पुराने लंबित मामलों' की श्रेणी में सूचीबद्ध है, लेकिन अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. वर्तमान अपील को विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 419 वर्ष 2013 के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये समान प्रकृति की थीं।
3. विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 419 वर्ष 2013: 'भवानी प्रसाद सिंह बनाम पारस नाथ एवं 11 अन्य', जिसमें वर्तमान प्रतिवादी भी एक पक्षकार था, का निर्णय इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 04.09.2017 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया जा चुका है:

"पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

वर्तमान अंतः-न्यायालय अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या 1157 वर्ष 1996 (पारस नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18 मई, 2011 के विरुद्ध निर्देशित है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह सुस्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि रिट याचिकाकर्ताओं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (इसके बाद "अधिनियम, 1960" के रूप में संदर्भित) की धारा 27 (4) के तहत दिया गया आवेदन, जिसे कमिशनर द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 1995 के आदेश के माध्यम से सुनवाई योग्य न मानते हुए गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, वह आदेश रिट याचिका में विवादित था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल मिस. पिटीशन संख्या 13960 वर्ष 1996 (जंग बहादुर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 24 जुलाई, 2002 को पारित निर्णय में निर्धारित कानून का संज्ञान लिया है, जिसमें यह माना गया है कि अधिनियम, 1960 की धारा 27 (4) के तहत आवेदन सुनवाई योग्य होगा।

हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है, क्योंकि निर्णय का परिणाम यह होगा कि अधिनियम, 1960 की धारा 27 (4) के तहत रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को कमिशनर द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुना और तय किया जाएगा। वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा, जो रिट कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, उक्त निर्णय को वापस लेने के लिए दिए गए आवेदन को दिनांक 18 मई, 2011 के आदेश द्वारा यह देखते हुए खारिज कर दिया गया है कि न तो पक्षकार बनाने के लिए कोई अनुमति मांगी गई है और न ही धारा 27 (4) के तहत आवेदन की सुनवाई योग्यता के कारण वर्तमान अपीलकर्ताओं को कोई पूर्वाग्रह कारित हुआ है।

हमें वर्तमान अंतः-न्यायालय अपील को स्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं मिला है। अधिनियम, 1960 की धारा 27 (4) के तहत आवेदन के माध्यम से उठाए जाने वाले विवादों के संबंध में अपीलकर्ता जो भी मुद्दे उठाना चाहता है, उन्हें हमेशा कमिशनर के समक्ष उठाया जा सकता है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि कमिशनर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से मामले का निर्णय करेंगे, बशर्ते कि इसे पहले ही तय न किया जा चुका हो।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अंतः-न्यायालय अपील खारिज की जाती है।"

4. **भवानी प्रसाद सिंह (उपरोक्त)** के मामले में किए गए निर्धारण को देखते हुए, वर्तमान विशेष अपील भी खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

10 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी. श्री./एस.एल.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।